अनुसूची 14–फारम सं0 562।

अन्तर्गत न्यायालय समाहर्त्ता, समस्तीपुर

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक,1941 का नियम 121)

आदेश पत्रक–ता0 ..... से ..... तक

जिला :– समस्तीपुर, संख्या 166 सन् 2019

केस का प्रकार :– लोक सभा चुनाव 2019 के अवसर पर दं०प्र०सं० की धारा–144(1) लगाने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
24.05.19	**आदेश** लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2019 द्वारा दिनांक 09.05.2019 से 27.05.2019 तक सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला में निषेद्याज्ञा लागू किया गया है। लोक सभा आम निर्वाचन 2019 का मतगणना आदि समाप्त हो चुका है। अतः वर्णित स्थिति में **मैं दिवेश सेहरा, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर** आदेश दिनांक 08.05.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी निषेद्याज्ञा आदेश आज दिनांक 24.05.2019 के 12:00 बजे रात्री से विलोपित करता हूँ। इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों की जानकारी हेतु सूचित कर दिया जाय एवं सार्वजनिक स्थल पर चिपका दिया जाय। इस आदेश का तामिला सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी संबंधित पुलिस निरीक्षक/सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ आज दिनांक 24.05.19 को जारी किया गया। **लेखापित एवं शुद्धिकृत।** ह०/– **जिला दण्डाधिकारी,** **समस्तीपुर।** ह०/– **जिला दण्डाधिकारी,** **समस्तीपुर।** **ज्ञापांक :–2097/ जि.वि., समस्तीपुर, दिनांक 24 मई, 2019** **प्रतिलिपिः–** वायरलेस ऑपरेटर, समस्तीपुर को सम्वाद सम्प्रेषण हेतु प्रेषित। **प्रतिलिपिः–** जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), समस्तीपुर को सभी संबंधित को सूचित करने एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। **प्रतिलिपि :–** सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकाकरी/सभी थानाध्यक्ष/सभी ओ0पी0 प्रभारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। **प्रतिलिपि :–** सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), समस्तीपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि उक्त आशय की सूचना अपने स्तर से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ0पी0प्रभारी को भी देना सुनिश्चित करेगें। **प्रतिलिपि :–** जिला जनसम्पर्क पदाधिकरी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। **प्रतिलिपि :–** पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। **जिला दण्डाधिकारी,** **समस्तीपुर।**	